कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या– 560/एसटी–टीजी0–रैगिंग/2013 दिनॉक जुलाई 12, 2013

1– कुल सचिव, गौतम बुद्व प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
2– कुल सचिव/चीफ प्राक्टर, लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ
3– पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण, लखनऊ।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ
5– समस्त पुलिस उपाधीक्षक/थानाध्यक्ष, लखनऊ
6– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
7– जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
8– बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
9– समस्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, लखनऊ।
10– जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या–2002/सोलह–1–13–250/96– टीसी दिनॉक जुलाई 08, 2013 के कम में कतिपय निर्देश निर्गत किये जा रहे है, जिसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1– सत्र के प्रारम्भ से ही रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना संस्थान में जगह–जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित की जाऐ तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कढोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर–होर्डिंग्स के माध्यम से संस्थान में प्रदर्शित किया जाए।

2– प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ–पत्र लिया जाए कि यदि वे संस्थान में रैगिंग में पकड़े गये तो संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।

3– प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सत्र के प्रारम्भिक कम से कम दो माह रैगिंग विरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये जाएं। इन दस्तों द्वारा प्रतिदिन दिन/रात में छात्रावासों तथा परिसर में एकन्त स्थलों पर एवं ऐसे स्थानों पर जहॉ रैगिंग की संभावना हो, जैसे पुस्तकालय, कैन्टीन आदि का निरीक्षण किया जाए। हास्टल परिसरों में विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आकस्मिक एवं पुनर्निरीक्षण किया जाए।

4– संस्था द्वारा निर्धारित कोड से भिन्न यदि छात्र समूह द्वारा कोई अनौपचारिक कोड विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाए जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5– एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

6– सभी संस्थानों में जहॉ पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहॉ पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं, वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगायें। उनको पूरी तरह से हिदायत दी दी जाए।

7– प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को संस्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाए, जिससे कि सीनियर छात्रों द्वारा नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

8– नवीन छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास परिसर से दूर ही रखा जाए एवं दोनों छात्रावासों के बीच पर्याप्त ऊॅचाई की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण सुनिश्चत किया जाए। यदि छात्रावास समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो नये छात्रों को ही परिसर छात्रावास में रखने की व्यवस्था की जाए। वरिष्ठ छात्र बाहर रह सकते हैं।

9– कई बार देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र बाहरी तत्वों अथवा कालेज के छात्रावास में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे पूर्व छात्रों अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों के संरक्षण में रैगिंग जैसी गंभीर गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अतः संस्था के प्राचार्य/वार्डेन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाए।

10– संस्था में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया जाए तथा उनका दायित्व निर्धारित किया जाए।

11– प्रत्येक शिक्षण संस्था में अध्यापक, संरक्षक/अभिभावक की समुचित संख्या पर सहायता समूह (एडवाइजरी ग्रुप) बनाये जाएं जिससे अध्यापक छात्रों के सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कर सकें।

12– सभी संस्थाओं में शिकायत पेटिकायें रखी जाऐं जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपनी शिकायत पेटिका में डाल सके। संस्था के प्राचार्य/निदेशक स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतें आदि की जॉच/निराकरण करायें।

13– प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता–पिता एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण सभी की फोटो सहित तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त किया जाए। कार्यालय की प्रति के अतिरिक्त एक प्रति आगन्तुक कक्ष में तथा एक प्रति कुलानुशासक(प्राक्टर) के पास सदैव उपलब्ध होनी चाहिए।

14– छात्रावासों में समस्त छात्रों विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाऐ तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाए।

15– विगत कुछ समय से रात्रि के समय रैगिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो–तीन माह तक 09:00 बजे के बाद किसी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया जाए। रैगिंग निरोधक दस्तों द्वारा विशेष रूप से ऐसे छात्रावासों में जहाँ प्रथम वर्ष के साथ अन्य वर्षों के छात्र भी रहते हैं, आकस्मिक एवं रात्रिकालीन पुनरीक्षण द्वारा उक्त कियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

16– सभी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षिका/अधीक्षक छात्रों की उपस्थित पंजिका बनायें तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों की उपस्थिति/गणना की जाए। उसमें सुनिश्चित करें कि जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित है, उन छात्रों द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी है या नहीं। छात्रों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर तत्काल सूचित किया जाये कि आपका पाल्य छात्रावास में बिना अनुमति के इतने घण्टे अनुपस्थित रहा और यह भी सूचित कर दिया जाए कि इस प्रकार की अवहेलना न करें तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाए।

17– सभी संस्थानों में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ(मद्यपान) सेवन पर रोक लगायी जाए। यह दायित्व संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा/यदि कोई छात्र धूम्रपान या मद्यपान करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा।

18– समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा परिसर के भीतर लाइसेंस युक्त अग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

19– यदि किसी छात्रावास में रैगिंग होना पाया जाता है तो उस छात्रावास के संरक्षक(वार्डेन) की गुणदोष के आधार पर जवाबदेही निर्धारित की जाए। वार्डेन शिकायत पेटियों में तथा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतों के सामयिक निस्तारण के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

20– प्रत्येक अभियंत्रण संस्थान के प्रचार्य/निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त संस्थान में सत्र के प्रारम्भ से पूर्व ही अनिवार्य रूप से प्राक्टोरेल बोर्ड का गठन किया जाए तथा इसकी औपचारिक जानकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त स्थानीय थानों में भी दे दी जाए।

21– सत्र के प्रारम्भ में न्यूनतम दो माह तक विशेष रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ परिसर में संस्था के प्रशासन की रैगिंग विरोधी कार्यवाही में सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

22– प्राक्टर द्वारा प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पुरुष/महिला को वर्दी अथवा आवश्यकतानुसार सादे वेष में भी संस्थान एवं छात्रावास परिसर के मुख्य द्वारा आदि में भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।

23– सभी इंजीनियरिंग कालेजों के प्रशासन द्वारा सत्र प्रारम्भ के दो माह में प्रत्येक पक्ष अपने विभागों के सचिवों का परिसर में रैगिंग की स्थिति एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। यदि इस बीच कोई अप्रिय घटना घटित हुई हो तो उसे भी अवश्य सूचित किया जाये।

24– सभी संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे छात्र, अध्यापक एवं अभिभावक भागीदारी करें तथा नियमों की जानकारी दी जाए।

25– संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही उनके दोष के आधार पर छात्रावास के निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0डी0 मार्क में कटौती, मैस से निलम्बन एवं स्कालरशिप बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। ऐसी कार्यवाही बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल शासन को प्रेषित कर दी जाए।

26– इन सभी सहयोगात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण अन्य छात्रों के संज्ञानार्थ संस्थान में जगह–जगह जहाँ से छात्र गुजरते हों, वहाँ पर चस्पा कर दिया जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। अतएव उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप संस्था पर रोक लगाने हेतु तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(उमेश मिश्रा)
अपर जिला अधिकारी (नगर–टीजी0)
लखनऊ।